भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 196
दिनांक 15.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पासपोर्ट के लिए प्रतीक्षा अवधि

***196. श्री जसबीर सिंह गिलः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आवेदन दाखिल किए जाने के बाद, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने में कितने दिन लगते हैं;

(ख) क्या पंजाब में बड़ी संख्या में पासपोर्ट जारी किए जाने का कार्य लंबित है; और

(ग) क्या सरकार ने पंजाब में पासपोर्ट जारी किए जाने में होने वाले विलंब और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश मंत्री
(डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"पासपोर्ट के लिए प्रतीक्षा अवधि" के संबंध में श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2023 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *196 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला औसत समय (पुलिस सत्यापन समय को छोड़कर) सामान्य पासपोर्ट के लिए 7–10 दिन और तत्काल पासपोर्ट के लिए 1–3 दिन है। पासपोर्ट को समयबद्ध रूप से जारी करने में आवेदकों से संबंधित जानकारी के पुलिस सत्यापन (पीवी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस सत्यापन का अखिल भारतीय औसत समय 14 दिन है। तथापि, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमपासपोर्ट पुलिस ऐप की शुरूआत की गई है, वहां पुलिस सत्यापन का औसत समय अधिकतम 5 दिन है। इस ऐप की शुरूआत पंजाब राज्य में भी की गई है।

कोविड महामारी के कारण मामलों के लंबित होने से पंजाब सहित पूरे भारत में पासपोर्ट सेवाओं की मांग में काफी वृद्धि हुई है। इससे पासपोर्ट के लिए समय–निर्धारण की प्रक्रिया के समक्ष कुछ चुनौतियाँ आई हैं। इनका समाधान करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए कुछ उपायों में शनिवार को पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)/डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) खोलना, पासपोर्ट कार्यालयों में अतिरिक्त पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर (कैंप पीएसके) बनाना, पासपोर्ट आवेदकों के लिए मोबाइल वैन तैनात करना और प्रतिदिन अतिरिक्त अपॉइंटमेंट जारी करना शामिल है। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती और क्रॉस–ग्रांटिंग पद्धतियों का भी उपयोग किया गया है।

*****